राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 27(1)मं.मं/2019 जयपुर, दिनांक 7/3/2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कार्यविधि नियमों में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः–

संशोधन

उक्त नियमों से संलग्न '**पहली अनुसूची**' में,–

I.	विद्यमान शीर्ष "**III.–क. राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो**" के स्थान पर शीर्ष "**III.–क. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो**" प्रतिस्थापित किया जायेगा;
II.	विद्यमान शीर्ष "**III.–ख. होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग**" के स्थान पर शीर्ष "**III.–ख. होम गार्ड विभाग**" प्रतिस्थापित किया जायेगा;
III.	विद्यमान शीर्ष "**V. उद्योग विभाग**" के स्थान पर शीर्ष "**V. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग**" प्रतिस्थापित किया जायेगा;
IV.	विद्यमान शीर्ष "**V.–क. खान विभाग**" के स्थान पर शीर्ष "**V.–क. खान एवं पैट्रोलियम विभाग**" प्रतिस्थापित किया जायेगा;
V.	विद्यमान शीर्ष "**VI.–ख. वक्फ विभाग**" के स्थान पर शीर्ष "**VI.–ख. अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग**" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इसके पश्चात् इस प्रकार प्रतिस्थापित शीर्ष के अधीन विद्यमान अंतिम क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् शीर्ष "**XLVII. अल्पसंख्यक मामलात् विभाग**" के अधीन क्रम संख्यांक 1 से 10 की विद्यमान प्रविष्टियां अगले क्रम संख्यांक पर जोड़ी जायेगी;
VI.	विद्यमान शीर्ष "**VIII. आबकारी विभाग**" के स्थान पर शीर्ष "**VIII. वित्त (आबकारी) विभाग**" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

क्रमशः-2-

VII.	**"IX.–क. कृषि सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोगिता विभाग"** और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् तथा विद्यमान शीर्ष **"X. नागरिक रसद विभाग" (विलोपित)** और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व, निम्नलिखित नया शीर्ष अंतःस्थापित किया जायेगा; अर्थात् **"IX.–ख. कृषि विपणन विभाग";**
VIII.	शीर्ष **"XI. नगरीय विकास विभाग"** के अधीन विद्यमान उप–शीर्ष **"क.–स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग"** और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी तथा विद्यमान शीर्ष **"XI. नगरीय विकास विभाग"** के पश्चात् और विद्यमान शीर्ष **"XII. चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग"** से पूर्व, इस प्रकार हटाया गया उप–शीर्ष और उसकी प्रविष्टियां, शीर्ष **"XI.–क. स्वायत शासन विभाग"** और उसकी प्रविष्टियों के रूप में अंतःस्थापित किया जायेगा;
IX.	विद्यमान शीर्ष **"XII.–ख. आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग"** के स्थान पर शीर्ष **"XII.–ख. आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग"** प्रतिस्थापित किया जायेगा;
X.	विद्यमान शीर्ष **"XV. शिक्षा विभाग"** के स्थान पर शीर्ष **"XV. विद्यालय शिक्षा विभाग"** प्रतिस्थापित किया जायेगा;
XI.	विद्यमान शीर्ष **"XV.–ग. संस्कृत शिक्षा विभाग"** और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् तथा विद्यमान शीर्ष **"XVI. विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्यालय"** और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व, निम्नलिखित नया शीर्ष अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् **"XV.–घ. उच्च शिक्षा विभाग";**
XII.	विद्यमान शीर्ष **"XXII.–घ. भू–जल विभाग"** और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् तथा विद्यमान शीर्ष **"XXIII. सहकारिता विभाग** और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व, निम्नलिखित नया शीर्ष अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:– **"XXII.–ड. बाल अधिकारिता विभाग";**
XIII.	विद्यमान शीर्ष **"XXV. इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग"** के स्थान पर शीर्ष **"XXV. इंदिरा गांधी नहर विभाग"** प्रतिस्थापित किया जायेगा;

क्रमशः-3-

XIV.	विद्यमान शीर्ष **"XXXI. आपदा प्रबंध और राहत विभाग"** के स्थान पर शीर्ष **"XXXI. आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग"** प्रतिस्थापित किया जायेगा;
XV.	विद्यमान शीर्ष **"xxxv. पर्यावरण विभाग"** के स्थान पर शीर्ष **"xxxv. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग"** प्रतिस्थापित किया जायेगा;
XVI.	विद्यमान शीर्ष **"XXXIX. परिवहन विभाग"** के स्थान पर शीर्ष **"XXXIX. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग"** प्रतिस्थापित किया जायेगा;
XVII.	विद्यमान शीर्ष **"XLVII. अल्पसंख्यक मामलात् विभाग"** और इसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को अग्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव।
6. निदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड, राजस्थान।
7. अधीक्षक, राज केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर
   राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन के लिए। 50 प्रतियां इस सचिवालय को भिजवाने की कृपा करें।
8. प्रोग्रामर,सामान्य प्रशासन विभाग इसे एस.एस.ओ आईडी के माध्यम से रीम्स ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड़ करने एवं गजट अधिसूचना में प्रकाशित करने के लिए।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।

शासन सचिव